न्यायालय अवमान (संशोधन) अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम संख्यांक 6)

[17 मार्च, 2006]

न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम न्यायालय अवमान (संशोधन) अधिनियम, 2006 है। संक्षिप्त नाम।

1971 का 70 **2.** न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 13 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

''13. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी,— कतिपय मामलों में अवमानों का दंडनीय न होना।

(क) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन न्यायालय अवमान के लिए दंड तब तक अधिरोपित नहीं करेगा जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि अवमान ऐसी प्रकृति का है कि वह न्याय के सम्यक् अनुक्रम में पर्याप्त हस्तक्षेप करता है, या उसकी प्रवृत्ति पर्याप्त हस्तक्षेप करने की है;

(ख) न्यायालय, न्यायालय अवमान के लिए किसी कार्यवाही में, किसी विधिमान्य प्रतिरक्षा के रूप में सत्य द्वारा न्यायानुमत की अनुज्ञा दे सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि वह लोकहित में है और उक्त प्रतिरक्षा का आश्रय लेने के लिए अनुरोध सद्भाविक है।''।